

प्रेषक,

आर०के०तोमर,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2

देहरादून दिनांक 16 जून 2017

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-27 के अंतर्गत राज्य सेक्टर योजना "वाईल्ड लाईफ बोर्ड को सहायता" हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन उत्तराखण्ड के पत्र सं० नि०-2174/3-5(वाई०ला०बोर्ड) दिनांक 16.05.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान सं०-27 के अंतर्गत राज्य सेक्टर योजना "वाईल्ड लाईफ बोर्ड को सहायता" हेतु लेखानुदान में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष ₹33.33 लाख (₹ तैतीस लाख तैतीस हजार मात्र) अवमुक्त कर व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. आवंटित धनराशि उत्तराखण्ड राज्य वन्यजीव सलाहकार परिषद एवं उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड के कार्यों के संचालन हेतु उनकी वास्तविक एवं औचित्यपूर्ण आवश्यकतानुसार ही आवंटित की जायेगी।
2. धनराशि का आहरण/व्यय यथा आवश्यकता ही किया जायेगा एवं अवशेष धनराशि समर्पित कर दी जायेगी।
3. धनराशि का व्यय चालू योजनाओं पर ही किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नए कार्यों के क्रियान्वयन के लिए न किया जाय।
4. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमेंट) नियमावली, 2008, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
5. बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है. अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।



.....2

6. धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-312/3(150)/XXVII(1) दिनांक 31.03.17 में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाये।
 7. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों से कराये जाने वाले कार्यों की सूचना सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जन सेवा विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-638/XXX-1-12(25) 2011, दिनांक 8 दिसम्बर, 2011 द्वारा अपेक्षित राज्य सरकार की वेबसाइट www.ua.nic.in तथा विभाग की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से प्रकाशित की जायेगी और उन्हें समय-समय पर अध्यावधिक किया जायेगा।
- 2- उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष अनुदान संख्या-27 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन, 02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्यजीवन, 110-वन्य जीव परिरक्षण, 03-वाइल्ड लाईफ बोर्ड को सहायता के मानक मद 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा। कम्प्यूटरीकृत अलोटमेंट आई0डी0-S1706270092 दिनांक 16.06.2017 संलग्न है।
- 3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-312/3(150)/XXVII(1) दिनांक 31.3.17 के संदर्भ/अनुपालन में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्न : यथोक्त।

भवदीय,

(आर0के0तोमर)
संयुक्त सचिव

संख्या-1060/X-2-2016-12(41)2012 तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार(ए एण्ड ई), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड इन्दिरानगर, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. वित्त अनुभाग-4/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवार्य, देहरादून।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून।
9. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. एम.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।



(आर0के0तोमर)
संयुक्त सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Secretary, Forest (S016)

आवंटन पत्र संख्या - 1060/X-2-2017-12(41)2012

अनुदान संख्या - 027

अलोटमेंट आई डी - S1706270092

आवंटन पत्र दिनांक -16-Jun-2017

HOD Name - Principal Chief Conservator of Forest (4260)

- 1: लेखा शीर्षक 2406 - वानिकी तथा वन्य जीवन 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन
110 - वन्य जीवन परिरक्षण
03 - वाईल्ड लाईफ बोर्ड को सहायता
00 - वाईल्ड लाईफ बोर्ड को सहायता

मानक भद् का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	Voted
			योग
20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज	0	3333000	3333000
	0	3333000	3333000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 3333000



